POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 30.03.2025

1.थाना सेक्टर-142 पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार, चोरी/लूट के 05 मोबाइल फोन व बिना नम्बर प्लेट लगी वैगनआर कार बरामद।

कार्रवाई का विवरण-- दिनांक 29/30.03.2025 को थाना सेक्टर-142 पुलिस टीम द्वारा प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर चेकिंग की जा रही थी, तभी सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा एक बिना नम्बर प्लेट लगी हुयी वैगनआर कार को रूकने का इशारा किया गया जिसपर वैगनआर कार सवार अभियुक्तों द्वारा रूकने के बजाय कार को तेजी से चलाते हुए भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा कार का पीछा करने पर अभियुक्तों द्वारा एफएनजी रोड़, सेक्टर-140 के पास कार से उतरकर भागने के प्रयास के क्रम में पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा की गयी जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल अभियुक्त की पहचान राहुल कुमार उर्फ राजू पुत्र रामशंकर निवासी ग्राम तरौलिया, थाना कुर्रा, जिला मैनपुरी वर्तमान निवासी नगला चरणदास थाना, फेस-2, गौतमबुद्धनगर उम्र 30 वर्ष के रूप में हुयी है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस बरामद हुए है। दूसरे अभियुक्त मनीष कुमार राय पुत्र देवनारायण राय निवासी ग्राम नवटोली, थाना अंधराठाढी, जिला मधुबनी, बिहार वर्तमान पता नगला चरणदास, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर उम्र 30 वर्ष को कांबिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। अभियुक्तों के कब्जे से लूट/चोरी के कुल 5 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त बिना नम्बर प्लेट की वैगनार कार बरामद हुयी है। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से बरामद एक मोबाइल फोन के संबंध में थाना सेक्टर-142 पर मु0अ0सं0 55/2025 धारा 303(2) बीएनएस पूर्व से पंजीकृत है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जो लूट व चोरी की घटनाओ का अन्जाम देते है। बरामद वैगनआर कार मे सवारी को बैठाकर उसके मोबाइल व सामान की चोरी तथा छीना-झपटी का अपराध करते है, जिनके विरूद्ध कई अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तों द्वारा दिनांक 27.03.25 को वैगनआर कार में वादी को सवारी के रूप में बैठाकर तथा सेक्टर-140 में इमरजेन्सी बताकर उतार दिया गया था और उसका मोबाइल फोन व 300 रूपये नगद चोरी कर लिये गये थे। उक्त घटना के संबंध में थाना सेक्टर-140 पर अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. राहुल कुमार उर्फ राजू पुत्र रामशंकर निवासी ग्राम तरौलिया, थाना कुर्रा, जिला मैनपुरी वर्तमान निवासी नगला चरणदास थाना, फेस-2, गौतमबुद्धनगर उम्र 30 वर्ष(घायल)
2. मनीष कुमार राय पुत्र देवनारायण राय निवासी ग्राम नवटोली, थाना अंधराठाढी, जिला मधुबनी, बिहार वर्तमान पता नगला चरणदास, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर उम्र 30 वर्ष

पंजीकृत अभियोग/अपराधिक इतिहास का विवरण--

अभियुक्त राहुल कुमार--

1. मु0अ0सं0 671/22 धारा 379/411/414 भादवि, थाना रामगढ़, फिरोजाबाद।
2. मु0अ0सं0 699/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना रामगढ, फिरोजाबाद।
3. मु0अ0सं0 12/21 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना सैफई, इटावा।
4. मुअ0सं0 222/20 धारा 392/411/420/467/468/471 भादवि थाना सैफई, इटावा।
5. मु0अ0सं0 224/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सैफई, इटावा।
6. मु0अ0सं0 77/18 धारा 279/304ए/338/427 भादवि थाना कुर्रा, मैनपुरी।
7. मु0अ0सं0 55/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-142, सेन्ट्रल नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0सं0 56/25 धारा 109 (1)317 (5) बीएनएस 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-142, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. लूट/चोरी के 05 मोबाइल फोन
2. 02 अवैध तमंचे मय 01 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस
3. बिना नम्बर प्लेट लगी वैगनआर कार